**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**

पीठासीन अधिकारी–  परशुराम धानका
आर.ए.एस.

| मिसल नम्बर | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 34 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020 | 09.06.2020 | 03.08.2022 |

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश प्रोविजन स्टोर सब्जी मण्डी के बाहर देवली जिला टोंक निवासी साकेत कॉलोनी रावण चौक देवली जिला टोंक
2–मैसर्स दिनेश प्रोविजन स्टोर सब्जी मण्डी के बाहर देवली जिला टोंक
3–श्री राजकुमार अजमेरा पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी किसान टाकीज के पीछे विवकोनन्द कॉलोनी देवली जिला टोंक
4–मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक
....... अप्रार्थीगण

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011**

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण अनुपस्थित ।

**:–निर्णय–:** **दिनांक 02.08.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.01.2020 को समय 03:42 पीएम पर मैसर्स दिनेश प्रोविजन स्टोर सब्जी मण्डी के बाहर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री दिनेश कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt Narmada Shudh Salt Poly Pack)** जिसके बैच नं. 04 एवं पैंकिंग की दिनांक 04/2019 थी, 1–1 किलोग्राम के 28 पैकेट दुकान में प्लास्टिक बैग में रखे हुए थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री दिनेश कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री दिनेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताया कि यह **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

**Narmada Shudh Salt Poly Pack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैक कुल मात्रा 4 किलोग्राम **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt Narmada Shudh Salt Poly Pack)** को 1–1 किलोग्राम के पैकेटों को बराबर–बराबर (एक भाग 1 किलोग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे कागज के गत्ते के डिब्बों में रखकर, डिब्बों के ढक्कन को एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2374 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2374 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री दिनेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्रेमचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स दिनेश प्रोविजन स्टोर सब्जी मण्डी के बाहर देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिसे आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं बतौर वारन्टी खरीद बिल हेतु पत्र प्रेषित किया जिनका जवाब आदिनांक तक अप्राप्त हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/269 दिनांक 29.01.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./79/एक्ट /2020/142 दिनांक 24.01.2020 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt Narmada Shudh Salt Poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 10.03.2022 को उपस्थित हुए एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt Narmada Shudh Salt Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक नर्मदा शुद्ध पॉली पैक (Iodised Salt Narmada Shudh Salt Poly Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/-(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 03.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0